"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2016—श्रावण 21, शक 1938

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक 886/945/अव./2011/1-8/स्था.—श्री वाय. पी. दुपारे, अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा तथा रोजगार विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वाय. पी. दुपारे आगामी आदेश तक अवर सचिव, कौशल विकास, तकनीकि शिक्षा तथा रोजगार विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

3. अवकाश अवधि में श्री वाय. पी. दुपारे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वाय. पी. दुपारे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्रमांक 966/1911/2014/1-8/स्था.—श्री विक्रम सिंह सिसोदिया, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी (संविदा नियुक्त), मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 08-06-2016 से 17-06-2016 तक 10 दिवस का (दिनांक 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिसोदिया, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सिसोदिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिसोदिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक 1042/2549/अव./2015/1-8/स्था.—श्री अरविंद कुजूर, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 23-05-2016 से 15-06-2016 तक 24 दिवस का (दिनांक 21, 22-05-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरविंद कुजूर आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री अरविंद कुजूर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविंद कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक 1044/3186/अव./2015/1-8/स्था.—श्री महेश साकल्ले, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग को दिनांक 06-06-2016 से 17-06-2016 तक 12 दिवस का (दिनांक 05, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री महेश साकल्ले, आगामी आदेश तक विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री महेश साकल्ले को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महेश साकल्ले अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक 1046/266/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एस. के. तिवारी, अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. तिवारी आगामी आदेश तक अवर सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एस. के. तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक 1048/485/अव./2015/1-8/स्था.—श्री बी. एल. सोनी, अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को दिनांक 13-06-2016 से 17-06-2016 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. सोनी आगामी आदेश तक अवर सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. एल. सोनी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. एल. सोनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 1108/3152/अव./2015/1-8/स्था.—श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग को दिनांक 27-05-2016 से 17-06-2016 तक 22 दिवस का (दिनांक 18, 19, 20-06-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डेय आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सतीश पाण्डेय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक 1146/452/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग को दिनांक 16-03-2016 से 26-06-2016 तक 103 दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, जनसंपर्क विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक 1188/1113/अव./2006/1-8/स्था.—श्री सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिनांक 01-07-2016 से 08-07-2016 तक 08 दिवस का (दिनांक 09, 10-07-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुनील विजयवर्गीय आगामी आदेश तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुनील विजयवर्गीय को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुनील विजयवर्गीय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक 1190/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-06-2016 से 02-07-2016 तक 10 दिवस का ( दिनांक 03-07-2016 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक 1206/132/अव./2014/1-8/स्था.—श्री बी. आर. साहू, स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) को निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

| | | |
|---|---|---|
| लघुकृत अवकाश | दिनांक 27-01-2016 से 09-06-2016 तक | 135 दिवस |
| अर्जित अवकाश | दिनांक 10-06-2016 से 14-06-2016 तक | 05 दिवस |

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. साहू आगामी आदेश तक स्टाफ आफिसर, सामान्य प्रशासन विभाग (पूल) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री बी. आर. साहू को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. साहू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जे. एस. राजपूत,** अवर सचिव.

---

## विधि और विधायी कार्य विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6918/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री सिद्धेश कुमार पटनायक, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए श्री राजकुमार उपाध्याय के स्थान पर अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6920/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मोहन सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6922/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री शिशिर वर्मा, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6924/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री अनुप कुमार साहू, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 6926/1820/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री राजीव बेरीवाल, अधिवक्ता को फास्ट ट्रेक कोर्ट, रायगढ़ में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, रायगढ़ तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक रायगढ़ के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार होता,** अतिरिक्त सचिव.

---

## परिवहन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 5-4/आठ-परि./2016.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 44 एवं धारा 65 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, समस्त मोटरयान व्यवसायी (डीलर), जिन्हें नये मोटरयानों के विक्रय हेतु अधिकृत किया गया है, को परिवहन यानों से भिन्न अन्य यानों के भौतिक जांच के प्रयोजन हेतु "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में नियुक्त करती है जो यह जांच करेगा कि पंजीयन के आवेदन में अन्तर्विष्ट विशिष्टियां सत्य है और वाहन उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों की अपेक्षाओं का पालन करता है.

No. F 5-4/viii-Trans/2016.—In exercise of the powers conferred by section 44 and clause (b) of sub-section (2) of Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, appoints all authorized motor vehicle dealers, who are authorized for sale of new motor vehicles, as "Inspecting Authority" for the purpose of physical inspection of vehicles other than transport vehicles, to check that the particulars contained in the application of registration are true and the vehicle complies with the requirements of said Act and rules made thereunder.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विजय कुमार धुर्वे,** संयुक्त सचिव.

# वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक एफ 10-45/2011/वाक. (सम.)/पांच (64).—छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद), सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

### अनुसूची

| स.क्र. | कार्यालय/निकाय/ अभिकरण का नाम | छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है | सेवा प्रदाय करने की समय-सीमा (कार्य दिवस) | सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद) | सक्षम अधिकारी | अपीलीय अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक. | (क) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण न किया जाना हो. | 03 | उप पंजीयक | जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक | उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक (पंजीयन) |
| | महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक | (ख) जब संपत्ति का स्थल निरीक्षण किया जाना हो. | 07 | उप पंजीयक | जिला पंजीयक/वरिष्ठ जिला पंजीयक | उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक (पंजीयन) |
| | महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक | (ग) धारा 30 (1) मुख्यालय में पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों में संबंध में. | 15 | उप पंजीयक | जिला पंजीयक/ वरिष्ठ जिला पंजीयक | उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक (पंजीयन) |
| 2. | महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक | दस्तावेजों की नकल प्रदाय करना. | 30 | उप पंजीयक | जिला पंजीयक/ वरिष्ठ जिला पंजीयक | उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक (पंजीयन) |
| 3. | महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक | भार-मुक्त प्रमाण-पत्र | 30 | उप पंजीयक | जिला पंजीयक/ वरिष्ठ जिला पंजीयक | उप महानिरीक्षक/ महानिरीक्षक (पंजीयन) |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

# श्रम विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 10-02/2016/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 (सन् 1960 का क्रमांक 27) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अविनाश चम्पावत, श्रमायुक्त को छत्तीसगढ़ राज्य के लिए "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F 10-2/2016/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) and in supersession of all previous notification issued in this regard, the State Government hereby appoints Shri Avinash Champavat, Labour Commissioner to be Chief Conciliator for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**याकुब खेस्स,** उप-सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 30 जुलाई 2016

क्रमांक 1552/1505/2016/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला बलरामपुर, गरियाबंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, बस्तर एवं कांकेर नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2016 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 20-08-2016 (शनिवार), को राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त जिलों में निम्नांकित नगरपालिकाओं (नगर पालिक निगम/नगर पंचायत) में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखानें जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

| क्र. (1) | जिला (2) | नगरपालिकाओं के नाम (3) | वार्ड क्रमांक (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | बलरामपुर | नगर पंचायत, वाड्रफनगर | 11 |
| 2. | गरियाबंद | नगर पंचायत, फिंगेश्वर | 1, 2 एवं 15 |
| 3. | दुर्ग | नगर पंचायत, धमधा | 11 |
| 4. | बालोद | नगर पंचायत, चिखलाकसा | 1, 14 एवं 15 |
| 5. | बेमेतरा | नगर पंचायत, थानखम्हरिया | 7 |
| 6. | बस्तर | नगर पालिक निगम, जगदलपुर | 11 |
| 7. | कांकेर | नगर पंचायत, चारामा | 5 |
| | | **कुल वार्डों की संख्या** | **11** |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. केरकेट्टा,** अवर सचिव.

# कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/11353/एफ-08/89/PMFBY/2016/14-2.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 9283 दिनांक 13-05-2016 में एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :—

1. पूर्व अधिसूचना (अधिसूचना क्रमांक 9283 दिनांक 13-05-2016) के बिन्दु क्रमांक-6 के उपरांत 6 (अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है.—

6 (अ) ऋण प्रदाय करने वाली संस्था ऋणी कृषक को "बीमा प्रीमियम राशि' अतिरिक्त ऋण के रूप में प्रदान करेगी.

2. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-9 में अंकित तालिका के क्रमांक 1, 2 और 3 यथावत रहेंगे एवं क्रमांक-3 के नीचे क्रमांक-4 से 6 तक (टीप सहित) निम्नानुसार सम्मिलित कर पढ़ी जावे—

| क्र. (1) | गतिविधि (2) | समय-सीमा (3) |
|---|---|---|
| 4 | बीमा कंपनी द्वारा अधिकृत एजेंट के माध्यम से ऐच्छिक आधार पर बीमा कराने वाले कृषकों के घोषणा पत्र एजेंट द्वारा बीमा कंपनी को भेजने की समय-सीमा. | घोषणा-पत्र/प्रीमियम प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर. |
| 5 | जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/नोडल बैंक (सहकारिता क्षेत्र हेतु) से बीमा कंपनी को प्रस्ताव प्रेषण की समय सीमा. | संबंधित नोडल बैंकों से प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर. |
| 6 | बैंकों/सहकारी समितियों/अधिकृत एजेंटों द्वारा बीमित कृषक के वितरण सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने की अंतिम समय सीमा. | कृषकों से प्रीमियम एकत्र करने की अंतिम तिथि के 15 दिवस के भीतर. |

**टीप :—** उपरोक्त समय-सीमा/प्रक्रियाओं/कार्यवाहियों का पालन करने में बैंक/बैंकों द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि होने अथवा कट ऑफ तिथि के उपरांत बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर संपूर्ण जवाबदारी संबंधित बैंक की होगी एवं प्रभावित कृषक/कृषकों को योजनान्तर्गत निर्धारित क्षतिपूर्ति के भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी.

3. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-10 के नीचे बिन्दु क्रमांक-10 (अ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है—

10 (अ) राज्य शासन को यह अधिकार रहेगा कि विभिन्न कारणों से निर्धारित समय सीमा में अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित मुख्य अथवा अन्य फसलों के निर्धारित फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जाने संभव नहीं हो सके, तो अधिसूचित इकाई से उच्चतर इकाई (पटवारी हल्का/राजस्व निरीक्षक मंडल) में योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित संख्या में फसल कटाई प्रयोग संपादित कराये जा सकेंगे जो दावा गणना हेतु मान्य होंगे.

4. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-11 में उल्लेखित "web portal-www.agri-insurance.cg.gov.in" के स्थान पर "web portal-www.agri-insurance.gov.in" पढ़ा जावे.

5. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-11 में उल्लेखित "प्रखंड" शब्द एतद्द्वारा विलोपित किया जाता है.

6. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक 13 (ग) में उल्लेखित "इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयोग किये गये आदान के समतुल्य होगी" के स्थान पर "इस घटक के अंतर्गत अधिकतम देय सहायता प्रभावित क्षेत्र में बोनी हेतु उपयोग किये गये आदान की कीमत के अनुपात में होगी. यदि फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र में दावा भुगतान स्थानीय क्षतिपूर्ति से अधिक निर्धारित होता है तो दोनों में से जो भी दावा अधिक होगा, बीमित कृषक को देय होगा".

7. पूर्व अधिसूचना के बिन्दु क्रमांक-22 में अंकित तालिका के सरल क्रमांक-4 कृषि ट्रेक्टर बीमा के सम्मुख बीमित राशि एवं प्रीमियम राशि से संबंधित स्तंभों के रिक्त स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जावे—
"ट्रेक्टर बीमा राशि का निर्धारण IRDAI द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर तथा ट्रेक्टर की उम्र एवं इसके साथ ट्राली होने अथवा नहीं होने को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा तथा इस संबंध में संपूर्ण विवरण बीमाकर्ता कंपनी द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जायेगा."

8. पूर्व अधिसूचना के परिशिष्ट-1 को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर संशोधित परिशिष्ट-1 प्रतिस्थापित किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 25 जुलाई 2016

क्रमांक/11450/एफ-04/39/2010/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15-5-2000-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर, 2000 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य की समस्त मंडी समितियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में देय राशि निम्नानुसार निर्धारित करती है :—

अनुसूची-एक

| स. क्र. | मंडी समिति | सकल प्राप्तियों (जिनमें अनुज्ञप्ति फीस तथा मण्डी फीस समाविष्ट हैं) का प्रतिशत, जो छत्तीसगढ़ राज्य विपणन विकास निधि में देय है |
|---|---|---|
| 1. | छत्तीसगढ़ की समस्त मण्डियां | पचास प्रतिशत |

No. 11452/F-04/39/2010/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) and in supersession of this Department Notification No. D-15-5-2000-XIV-3, Bhopal dated 30th October, 2000, the State Government, hereby, specifies the amount payable by Market committees in the Chhattisgarh State Marketing Development Fund, as below :—

SCHEDULE-ONE

| S. No. | Market Committee | Percentage of Gross Receipts (Comprising of licence Fees and Market Fees) payable to Chhattisgarh State Marketing Development fund |
|---|---|---|
| 1. | All Mandies of the State of Chhattisgarh. | Fifty Percent |

नया रायपुर, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक/11560/एफ-8/89/PMFBY/2016/14-2.—विभाग द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) अंतर्गत खरीफ 2016 हेतु जारी अधिसूचना क्र. 11353 दिनांक 21-07-2016 के परिशिष्ट-1 में आयुक्त, भू-अभिलेख के पत्र क्र./2942/आ.भू.अ./सां./फ.क.प्र./2016 दिनांक 26-07-2016 द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रस्ताव अनुसार जिला, तहसील एवं राजस्व निरीक्षक मण्डलवार (आर.आई. सर्किल) निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए एतद्द्वारा संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है :—

1. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-महासमुंद, आर.आई.सर्किल-महासमुंद की तालिका की अंतिम सरल क्र. 49 से आगे सरल क्र. 50 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | बरबसपुर | बरबसपुर | बरबसपुर | - | - | - | - | - |

2. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-महासमुंद, आर.आई.सर्किल-पटेवा की तालिका की अंतिम सरल क्र. 60 से आगे सरल क्र. 61 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | चुहरी | - | चुहरी | - | - | - | - | - |

3. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-बागबाहरा, आर.आई.सर्किल-खल्लारी की तालिका की अंतिम सरल क्र. 58 से आगे सरल क्र. 59 में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | कसीबाहरा (बी.के.बाहरा) | कसीबाहरा (बी.के.बाहरा) | कसीबाहरा (बी.के.बाहरा) | – | – | – | – | – |

4. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-पिथौरा, आर.आई.सर्किल-पिथौरा की तालिका की सरल क्र. 20 में ग्राम पंचायत पिलवापाली में कोई भी फसल अधिसूचित नहीं होने के स्थान पर धान सिंचित एवं धान असिंचित फसल को अधिसूचित किया जाता है तथा सरल क्र. 63 एवं 64 में टंकण त्रुटिवश अंकित ग्राम पंचायत टनसुला एवं गेमरा के स्थान पर ग्राम पंचायत अंसुला एवं मेमरा अधिसूचित किया जाता है.

5. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-पिथौरा, आर.आई.सर्किल-पिथौरा की तालिका के सरल क्र. 62 ग्राम पंचायत डोंगरीपाली में अधिसूचित फसल धान सिंचित तथा मूंगफली को विलोपित करते हुए धान असिंचित को जोड़ा जाता है, तथा अंतिम सरल क्र. 65 से आगे 66 से 72 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | बोइरलामी | बोइरलामी | बोइरलामी | – | – | – | – | – |
| 67 | लक्ष्मीपुर | – | लक्ष्मीपुर | – | – | – | – | – |
| 68 | अमलीडीह | अमलीडीह | अमलीडीह | – | – | – | – | – |
| 69 | पिलवापाली | पिलवापाली | पिलवापाली | – | – | – | – | – |
| 70 | बल्दीडीह | बल्दीडीह | बल्दीडीह | – | – | – | – | – |
| 71 | अंसुला | अंसुला | अंसुला | – | – | – | – | – |
| 72 | मेमरा | मेमरा | मेमरा | – | – | – | – | – |

6. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-पिथौरा, आर.आई.सर्किल-सांकरा की तालिका की अंतिम सरल क्र. 60 से आगे सरल क्र. 61 से 63 तक निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | भस्करापाली | भस्करापाली | भस्करापाली | – | – | – | – | – |
| 62 | गोडमर्रा | गोडमर्रा | गोडमर्रा | – | – | – | – | – |
| 63 | पिपरौद | पिपरौद | पिपरौद | – | – | – | – | – |

7. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में जिला-महासमुंद, तहसील-सराईपाली, आर.आई.सर्किल-सराईपाली की तालिका की अंतिम सरल क्र. 53 से आगे सरल क्र. 54 के रूप में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. (1) | ग्राम पंचायत (2) | धान सिंचित (3) | धान असिंचित (4) | मक्का मूंगफली (5) | तुअर (6) | सोयाबीन (7) | मूंग (8) | उड़द (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | पतेरापाली | पतेरापाली | पतेरापाली | – | – | – | – | – |

8. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट–1 में जिला–महासमुंद, तहसील–बसना, आर.आई.सर्किल–भंवरपुर की तालिका की अंतिम सरल क्र. 51 से आगे सरल क्र. 52 के रूप में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. | ग्राम पंचायत | धान सिंचित | धान असिंचित | मक्का मूंगफली | तुअर | सोयाबीन | मूंग | उड़द |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 52 | बिरसिंगपाली | बिरसिंगपाली | बिरसिंगपाली | – | – | – | – | – |

9. पूर्व में जारी अधिसूचना के परिशिष्ट–1 में जिला–सूरजपुर, तहसील–रामानुजनगर, आर.आई.सर्किल–रामानुजनगर की तालिका की अंतिम सरल क्र. 72 से आगे सरल क्र. 73 के रूप में निम्नानुसार ग्राम पंचायत को सम्मिलित जाता है :—

| क्र. | ग्राम पंचायत | धान सिंचित | धान असिंचित | मक्का मूंगफली | तुअर | सोयाबीन | मूंग | उड़द |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 73 | कल्याणपुर | – | कल्याणपुर | – | – | – | – | – |

पूर्व में जारी अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** संयुक्त सचिव.

## नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 5–8/2009/18.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्र. 15 सन् 2011) की धारा 9 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

### नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**

(1) ये नियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते एवं सेवा के अन्य निर्बंधन और शर्तें) नियम, 2016 कहलायेंगे.

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "मुख्य सचिव" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का मुख्य सचिव;

(ख) "जिला न्यायाधीश" से अभिप्रेत है जिला न्यायाधीश जैसा कि छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है;

(ग) "मंत्री" से अभिप्रेत है मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "प्रमुख सचिव/सचिव" से अभिप्रेत है प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन.

(2) शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, उनके क्रमश: वही अर्थ होंगे जैसा कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक राजस्व (विनियामक आयोग की स्थापना) अधिनियम, 2011 (क्र. 15 सन् 2011) में उनके लिये समनुदेशित है.

3. **वेतन एवं भत्ते.**—छत्तीसगढ़ नगरपालिक राजस्व विनियामक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को देय वेतन और भत्ते निम्नानुसार होंगे :—

(1) **अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन.**—

(क) अध्यक्ष को मुख्य सचिव के वेतनमान के समकक्ष रु. 80,000 (अस्सी हजार रुपये) नियत वेतन देय होगा एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार दिये जायेंगे.

(ख) सदस्य(यों) को प्रमुख सचिव के समकक्ष वेतनमान रु. 37,400-67,000 (सैंतीस हजार चार सौ रुपये से सड़सठ हजार रुपये) देय होगा एवं अन्य भत्ते भी नियमानुसार दिये जायेंगे;

(ग) यदि केन्द्र/राज्य सरकार/न्यायिक सेवा के सेवारत अधिकारी, अध्यक्ष/सदस्य के पद पर नियुक्त होते हैं, तो उन्हें अध्यक्ष/सदस्य(यों) को लागू वेतनमान में रखे जायेंगे;

(घ) यदि अध्यक्ष/सदस्य ऐसा व्यक्ति है जो केन्द्र/राज्य सरकार या अन्य संगठन की पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है एवं अपने पूर्व सेवा के लिये पेंशन आहरित कर रहा है, तो वेतन निर्धारित करते समय उसके वेतन से पेंशन की राशि कम कर दी जायेगी.

(2) **महंगाई भत्ते एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते.**— अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को ऐसे महंगाई भत्ते एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ते देय होंगे जैसा कि राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को देय है.

4. **आवासीय सुविधा.**— राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त शासकीय आवास के अनुरूप, अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को आवासीय सुविधा प्रदान की जायेगी :

परंतु यह कि यदि अध्यक्ष/सदस्य(यों) के द्वारा, उनको प्रदान किये गये (आबंटित) आवास, स्वीकार नहीं किये जाते हैं या यदि उनको ऊपर यथा वर्णित आवास प्रदान नहीं की जाती है या यदि वे अपने स्वयं के मकान में निवास करना चाहते हैं, तो वे ऐसे गृह भाड़ा भत्ते के लिये पात्र होंगे जैसा कि राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को देय है.

5. **वाहन की सुविधा.**—

(1) अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को ऐसी वाहन सुविधा प्राप्त करने की पात्रता होगी, जैसा कि राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को प्राप्त है.

(2) अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को वाहन के निजी उपयोग की पात्रता होगी.

(3) इस प्रयोजन हेतु पात्रता एवं देय भुगतान (राशि), प्रवृत्त नियमों के अनुसार होगी.

6. **अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को यात्रा भत्ते.**— जब अध्यक्ष एवं सदस्य(यों), राज्य के बाहर अथवा राज्य के अंदर यात्रा करेंगे तो वे महानगरों अर्थात्, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में होटल में ठहरने के लिये रु. 6500 (छ: हजार पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तथा अन्य शहरों में रु. 5500 (पांच हजार पांच सौ रुपये) प्रतिदिन तक का प्रशुल्क प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे तथा प्रतिपूर्ति दावा, वास्तविक भुगतान किये जाने के अध्यधीन होगा.

7. **अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को देय अवकाश यात्रा भत्ते.**— अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को लागू नियमों एवं पात्रता के अनुरूप अवकाश यात्रा भत्ते देय होंगे.

8. **अवकाश.**—

(1) अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरूप अवकाश की पात्रता होगी ;

(2) अध्यक्ष एवं सदस्य(यों), अपने खाते से शेष अवकाश का पचास प्रतिशत नगदीकरण किसी भी समय करने हेतु पात्र होंगे;

(3) **अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी—**नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का मंत्री, अध्यक्ष का अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे एवं अध्यक्ष, सदस्य (यों) के अवकाश स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी होंगे.

9. **भविष्य निधि.—**अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को उनकी सहमति के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के अधीन स्थापित भविष्य निधि में अंशदान करने की पात्रता होगी.

10. **चिकित्सा सुविधाएं.—** अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के पात्रता के अनुरूप चिकित्सा सुविधा एवं अस्पताल की सुविधा की पात्रता होगी.

11. **पेंशन एवं ग्रेच्युटी.—** अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, पेंशन एवं ग्रेच्युटी संबंधी किसी सुविधा की पात्रता नहीं होगी.

12. **दूरभाष एवं अतिथि सत्कार सुविधा.—** अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरूप दूरभाष एवं अतिथि सत्कार सुविधा की पात्रता होगी.

13. **अन्य सेवा शर्तें.—**अध्यक्ष एवं सदस्य(यों) को, राज्य में समकक्ष श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरूप अन्य सेवा सुविधा की पात्रता होगी.

14. **अध्यक्ष एवं सदस्य( यों ) द्वारा शपथ ग्रहण.—** पदभार ग्रहण करने के पूर्व, अध्यक्ष, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री के समक्ष प्ररूप-अ पर गोपनीयता की शपथ पर हस्ताक्षर करेगा और इसी प्रकार पदभार ग्रहण करने के पूर्व, सदस्य(यों) भी अध्यक्ष के समक्ष गोपनीयता की शपथ पर हस्ताक्षर करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला,** संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 5-8/2009/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-8/2009/18 दिनांक 29-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जितेन्द्र शुक्ला,** संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th July 2016

No. F 5-8/2009/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011, (No.15 of 2011), the State Government, hereby, makes the following rules relating to the salary, allowances and other Terms and Conditions of service of the Chairperson and Members of the Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission, namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission (Salary, Allowances and Other Terms and Conditions of Service of the Chairperson and Members) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—** In these rules, unless the context otherwise requires.-

(a) "Chief Secretary" means the Chief Secretary of Government of Chhattisgarh;

(b) "District Judge" means the District Judge as defined under the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006;

(c) "Minister" means the Minister, Urban Administration and Development Department, Government of Chhattisgarh;

(d) "Principal Secretary/Secretary" means the Principal Secretary/Secretary of the Department of Urban Administration and Development, Government of Chhattisgarh.

(2) Words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Chhattisgarh Municipal Revenue (Establishment of Regulatory Commission) Act, 2011 (No.15 of 2011).

3. **Salary and Allowances.—** The salary and allowances payable to the Chairperson and Member(s) of the Chhattisgarh Municipal Revenue Regulatory Commission shall be as follows:—

(1) **Salary of Chairperson and Members.—**

(a) The Chairperson shall be paid a fixed salary of Rs.80,000 (Rupees Eighty Thousand) at par with the pay-scale of the Chief Secretary, and other allowances in accordance with the rules shall also be paid;

(b) The Member(s) shall be in the pay-scale of Rs.37,400-67,000 (Rupees Thirty-seven Thousand Four Hundred to Rupees Sixty-seven Thousand) at par with the Principal Secretary, and other allowances in accordance with the rules shall also be paid;

(c) If officers in the service of the Central/State Government /Judicial Service are appointed to the post of Chairperson/Member, they shall be placed in the pay-scale applicable to the Chairperson/Member(s);

(d) If the Chairperson/Member is a person who retired from former service in the Central/State Government or other organization, and is drawing pension for his former service, then the amount of pension shall be reduced from the pay-scale when fixing the salary.

(2) Dearness Allowance and City Compensatory Allowance.-Dearness Allowance and City Compensatory Allowance shall be payable to the Chairperson and Member(s) as payable to Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State.

4. **Residential Accommodation.—**Residential Accommodation shall be provided to the Chairperson and Member(s) in accordance with the Government accommodation provided to Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State:

Provided that if the Chairperson /Member(s) do not accept the accommodation provided to them or if accommodation as described above is not provided to them, or if they choose to reside in their own accommodation, then they shall be eligible for House Rent Allowance as payable to the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State.

5. **Vehicle Facility.—**

(1) The Chairperson and Member(s) shall be entitled to get vehicle facility as provided to the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State;

(2) The Chairperson and Member(s) shall be entitled for personal use of the vehicle;

(3) The eligibility and amount payable for this purpose shall be according to the rules in force.

6. **Travel Allowance to Chairperson and Member(s).—** When Chairperson and Member(s) travel outside the State or within the State, they shall be eligible for hotel stay in rooms with tariff up to Rs.6500 (Rupees Six Thousand Five Hundred) per day in metropolitan cities namely, Delhi, Mumbai, Kolkata, and Chennai, and Rs.5500 (Rupees Five Thousand Five Hundred) per day in other cities and reimbursement claims shall be subject to actual payments made.

7. **Leave Travel Allowance Payable to Chairperson and Member(s).—** The Chairperson and Member(s) shall get Leave Travel Allowance at par with the rules and eligibility of the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State.

8. **Leave.—**

(1) The Chairperson and Member(s) shall be eligible for leave at par with the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State;

(2) The Chairperson and Member(s) shall be eligible to encash at any time fifty percent of the leave balance in their account;

(3) Competent authority to sanction leave- The Minister for Urban Administration and Development Department shall be the Competent Authority for sanctioning leave for the Chairperson, and the Chairperson shall be the Competent Authority for sanctioning leave for the Member(s).

9. **Provident Fund.—** The Chairperson and the Member(s) shall be eligible, subject to their willingness, to contribute, to the Provident Fund established under the Chhattisgarh General Provident Fund Rules, 1955.

10. **Medical Benefit.—** The Chairperson and Member(s) shall be eligible for medical benefit and hospital facilities at par with the eligibility of the Indian Administrative Officers/Judicial Officers of equivalent grade in the State.

11. **Pension and Gratuity.—** The Chairperson and Member(s) shall not be eligible for any benefit of pension and gratuity.

12. **Telephone and Hospitality Benefit.—** The Chairperson and Member(s) shall be eligible for telephone and hospitality benefit at par with the eligibility of the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State.

13. **Other Service Conditions.—** The Chairperson and Member(s) shall be eligible for other service benefits at par with the Indian Administrative Officers of equivalent grade in the State.

14. **Taking of Oath by Chairperson/Member(s).—** Before assuming office, the Chairperson shall sign an oath of confidentiality on Form-A before the Minister for Urban Administration and Development and likewise before assuming office the Member(s) shall sign the oath of confidentiality before the Chairperson.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Joint Secretary.

# राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 4 जून 2016

क्रमांक/क/भू-अर्जन/अ/82 वर्ष 2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बलौदाबाजार-भाटापारा | भाटापारा | बोरसी प.ह.नं. 16 | 0.526 | कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, बलौदाबाजार. | हसदा सड़क निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 29 जून 2016

क्रमांक 09 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बलौदाबाजार-भाटापारा | बलौदाबाजार | अर्जुनी प.ह.नं. 10 | 0.126 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.). | अर्जुनी टोनाटार पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बसवराजु एस.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | जांजगीर | कुदरी प.ह.नं. 39 | 0.793 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय-चांपा (छ.ग.). | कुदरी बैरॉज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 15 जुलाई 2016

क्रमांक 02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| जांजगीर-चांपा | बलौदा | मदनपुर प.ह.नं. 32 | 1.335 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग जांजगीर, मुख्यालय-चाम्पा (छ.ग.). | कुदरी बैरॉज के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एस. भारती दासन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 21 जुलाई 2016

क्रमांक/732/रीडर-3/भू-अर्जन/2016.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | पंडरिया | बकेला-15 | 0.484 | कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, कवर्धा. | बकेला पार्श्वनाथ कंकालिन मार्ग पर हाथ नदी पुल मय पहुंच मार्ग व्यपवर्तन योजना. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के न्यायालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 27 जुलाई 2016

क्रमांक/01अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| कबीरधाम | बोड़ला | घोंठा प.ह.नं. 08 | 0.154 | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, राजनांदगांव. | घोघरा से सिरमी मार्ग पर हॉफ नदी में पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**धनंजय देवांगन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक/227/अ.वि.अ./भू-अर्जन/4 अ/82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| महासमुंद | महासमुंद | सिरपुर प.ह.नं. 02 | 6.71 | अधीक्षण पुरातत्व विद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रायपुर मण्डल. | पुरातत्व सम्पत्ति की सुरक्षा एवं उत्खनन हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), महासमुंद छ.ग. के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 8/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | केन्दा प.ह.नं. 06 | 10.41 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | केन्दा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक 58/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | तखतपुर | देवतरा प.ह.नं. 14 | 1.96 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा, जिला बिलासपुर (छ.ग.) | कठमुण्डा व्यपवर्तन के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक 39/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| बिलासपुर | कोटा | मझगवां प.ह.नं. 07 | 6.64 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड. | सेमरा जलाशय योजना के अन्तर्गत डूबान एवं नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी.,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 अगस्त 2016

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| रायगढ़ | खरसिया | कुनकुनी प.ह.नं. 26 | 18.558 | मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़. | औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया जिला रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अलरमेलमंगई डी.**, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 28 जुलाई 2016

क्रमांक/01/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-रामपुर, प.ह.नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.033 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 123/1 | 0.033 |
| योग | 1 | 0.033 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम रामपुर एनीकट के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**बसवराजु एस.**, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक/19/वा-1/भू.अ./अ.अ./प्र.क्र./4/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-राजिम
- (ग) नगर/ग्राम-हथखोज, प.ह.नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.21 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 513 | 0.02 |
| | 515 | 0.02 |
| | 516 | 0.01 |
| | 518 | 0.03 |
| | 519 | 0.01 |
| | 520 | 0.01 |
| | 524 | 0.01 |
| | 543 | 0.04 |
| | 544 | 0.05 |
| | 546 | 0.01 |
| योग | 10 | 0.21 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-सूखा नदी पर निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्रुति सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्रमांक 01/अ-82/वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-गहनाखार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.56 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 527 | 0.12 |
| | 503 | 0.02 |
| | 501 | 0.03 |
| | 502 | 0.02 |
| | 487 | 0.02 |
| | 493 | 0.01 |
| | 488 | 0.03 |
| | 489 | 0.01 |
| | 490 | 0.05 |
| | 477 | 0.02 |
| | 475 | 0.01 |
| | 476/1 | 0.02 |
| | 473/1 | 0.01 |
| | 474 | 0.01 |
| | 472 | 0.02 |
| | 471 | 0.04 |
| | 470 | 0.04 |
| | 465 | 0.01 |
| | 464 | 0.05 |
| | 486 | 0.02 |
| योग | 20 | 0.56 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्रमांक 04/अ-82/वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगबहाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.35 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 215 | 0.05 |
| | 212 | 0.04 |
| | 52 | 0.12 |
| | 185/1 | 0.03 |
| | 233 | 0.12 |
| | 249 | 0.04 |
| | 239 | 0.07 |
| | 184 | 0.04 |
| | 179 | 0.03 |
| | 180 | 0.04 |
| | 181 | 0.04 |
| | 237 | 0.19 |
| | 182 | 0.04 |
| | 183 | 0.04 |
| | 216 | 0.03 |
| | 200/1 | 0.01 |
| | 217/3 | 0.03 |
| | 217/2 | 0.01 |
| | 218 | 0.03 |
| | 219 | 0.07 |
| | 236 | 0.04 |
| | 211 | 0.04 |
| | 227 | 0.02 |
| | 187/1 | 0.07 |
| | 187/2 | 0.06 |
| | 187/4 | 0.05 |
| योग | 26 | 1.35 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत शाखा नहर (क्रमांक 01) निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुंद, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 15-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-बोईरमाल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.75 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 32 | 0.19 |
| 31 | 0.02 |
| 33 | 0.13 |
| 27/5 | 0.10 |
| 13/2 | 0.10 |
| 28 | 0.18 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 20 | 0.42 |
| 13/1 | 0.09 |
| 27/6 | 0.01 |
| 11 | 0.08 |
| 10 | 0.17 |
| 4 | 0.02 |
| 5 | 0.08 |
| 8 | 0.05 |
| 9 | 0.05 |
| 71 | 0.01 |
| 72 | 0.07 |
| 70 | 0.04 |
| 73 | 0.17 |
| 75/1 | 0.40 |
| 76 | 0.14 |
| 78 | 0.01 |
| 77 | 0.22 |
| योग 23 | 2.75 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंगबहाल जलाशय योजना के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**उमेश कुमार अग्रवाल,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

---

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 मई 2016

क्रमांक 11/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-पेण्ड्रीडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.250 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 43/4 | 0.231 |
| 70/1 | 0.243 |
| 70/2 | 0.040 |
| 71/5 | 0.214 |
| 71/7 | 0.040 |
| 132/2 | 0.020 |
| 206/1 | 0.202 |
| 71/2 | 0.101 |
| 71/6 | 0.024 |
| 71/3 | 0.020 |
| 72/1 | 0.008 |
| 72/2 | 0.036 |
| 73/2 | 0.008 |
| 76/1 | 0.101 |
| 76/2 | 0.198 |
| 77/2 | 0.040 |
| 75/2 | 0.008 |
| 78/1, 78/2 | 0.105 |
| 79/1, 86/1 | 0.081 |
| 79/5, 86/2 | 0.036 |
| 79/7 | 0.008 |
| 207/2 | 0.040 |
| 205 | 0.032 |
| 207/3 | 0.040 |
| 207/4 | 0.182 |
| 87/1 | 0.101 |
| 87/4 | 0.093 |
| 87/2 | 0.061 |
| 206/3 | 0.101 |
| 87/3 | 0.125 |
| 89 | 0.008 |
| 90/1 | 0.089 |
| 90/2 | 0.405 |
| 90/3 | 0.032 |
| 203/1 | 0.020 |
| 125 | 0.162 |
| 126/2 | 0.101 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 192 | 0.121 |
| 127/1 | 0.405 |
| 182 | 0.445 |
| 128/1 | 0.020 |
| 128/2 | 0.040 |
| 128/3 | 0.040 |
| 131 | 0.081 |
| 183/2 | 0.008 |
| 181/9 | 0.162 |
| 181/12 | 0.162 |
| 181/3 | 0.182 |
| 181/8 | 0.089 |
| 181/10 | 0.101 |
| 181/4, 181/14 | 0.040 |
| 181/7 | 0.142 |
| 314/1 | 0.263 |
| 314/2 | 0.012 |
| 181/5 | 0.101 |
| 335 | 0.121 |
| 77/1 | 0.069 |
| 337/2 | 0.061 |
| 337/4 | 0.194 |
| 344/1 | 0.162 |
| 336/2 | 0.061 |
| 336/3 | 0.020 |
| 343/1, 341/2 | 0.109 |
| 344/4 | 0.004 |
| 341/5 | 0.202 |
| 343/2 | 0.004 |
| 339/2, 341/6, 340/4 | 0.016 |
| 341/7 | 0.133 |
| 341/8 | 0.142 |
| 337/1 | 0.142 |
| 337/5 | 0.040 |
| योग 71 | 7.250 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 26/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 115/6 | 0.053 |
| 115/8 | 0.020 |
| योग | 0.073 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोंगसरा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बेलगहना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.941 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 886 | 0.121 |
| 84 | 0.227 |
| 81 | 0.113 |
| 82/1 | 0.008 |
| 82/2 | 0.186 |
| 76/1 | 0.024 |
| 76/3 | 0.020 |
| 76/2 | 0.049 |
| 76/4 | 0.065 |
| 76/5 | 0.194 |
| 79 | 0.012 |
| 74/1 | 0.202 |
| 75/2 | 0.040 |
| 227/2 | 0.085 |
| 123/1 | 0.097 |
| 123/7 | 0.081 |
| 147/2, 147/3, 171/1 | 0.012 |
| 211 | 0.085 |
| 227/1 | 0.348 |
| 281 | 0.194 |
| 124/1 | 0.057 |
| 59/2 | 0.032 |
| 205 | 0.024 |
| 261 | 0.105 |
| 142/1 | 0.194 |
| 142/3 | 0.008 |
| 87 | 0.384 |
| 171/2 | 0.049 |
| 173 | 0.093 |
| 174/1 | 0.166 |
| 212 | 0.081 |
| 213 | 0.057 |
| 214 | 0.004 |
| 223/1 | 0.223 |
| 222 | 0.032 |
| 274/1 | 0.057 |
| 172 | 0.097 |
| 228 | 0.134 |
| 183 | 0.049 |
| 184 | 0.138 |
| 185 | 0.190 |
| 186 | 0.162 |
| 187 | 0.040 |
| 189 | 0.016 |
| 190, 191 | 0.040 |
| 78 | 0.016 |
| 123/5 | 0.081 |
| 123/8 | 0.081 |
| 123/10 | 0.081 |
| 124/2 | 0.012 |
| 133 | 0.004 |
| 124/4 | 0.283 |
| 274/3 | 0.040 |
| 135/1 | 0.089 |
| 135/2 | 0.073 |
| 135/3 | 0.008 |
| 135/4 | 0.109 |
| 134 | 0.113 |
| 140 | 0.097 |
| 141 | 0.441 |
| 174/2 | 0.024 |
| 250/2 | 0.081 |
| 252/1 | 0.077 |
| 252/2 | 0.024 |
| 253/1 | 0.109 |
| 253/2 | 0.024 |
| 254/1 | 0.150 |
| 175/1 ख | 0.004 |
| 206 | 0.109 |
| 207 | 0.105 |
| 208 | 0.174 |
| 223/2 | 0.328 |
| 251/2 | 0.040 |
| 250/3 | 0.004 |
| 210/1 | 0.040 |
| 233/1 | 0.008 |
| 234 | 0.057 |
| 249 | 0.032 |
| 264 | 0.089 |
| 250/1 | 0.053 |
| 251/1 | 0.190 |
| 265/1 | 0.065 |
| 265/2 | 0.061 |
| 266 | 0.121 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 262 | 0.178 |
| | 280 | 0.291 |
| | 263, 891 | 0.235 |
| | 275 | 0.121 |
| | 276 | 0.024 |
| योग | 93 | 8.941 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बघेलकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.447 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर<br>(1) | रकबा (हेक्टेयर में)<br>(2) |
|---|---|
| 278/2 | 0.024 |
| 278/1 | 0.040 |
| 280/1 | 0.040 |
| 280/2 | 0.004 |
| 55, 56 | 0.142 |
| 58/1 | 0.089 |
| 180/5 | 0.182 |
| 58/2 | 0.186 |
| 58/8 | 0.113 |
| 58/6ख | 0.024 |
| 58/6क | 0.049 |
| 58/3 | 0.150 |
| 58/7 | 0.089 |
| 58/9 | 0.012 |
| 345/2 | 0.040 |
| 210 | 0.081 |
| 208/1 | 0.036 |
| 261/2 | 0.097 |
| 262/2 | 0.024 |
| 258 | 0.020 |
| 262/1 | 0.020 |
| 262/4 | 0.065 |
| 288 | 0.061 |
| 261/1 | 0.004 |
| 262/3 | 0.085 |
| 262/5 | 0.004 |
| 207/1 | 0.045 |
| 259 | 0.004 |
| 262/6 | 0.089 |
| 207/2 | 0.036 |
| 339/1 | 0.004 |
| 298/4 | 0.016 |
| 339/3 | 0.020 |
| 294 | 0.065 |
| 338/1 | 0.036 |
| 338/2 | 0.032 |
| 180/4 | 0.761 |
| 296/2 | 0.061 |
| 297/3 | 0.024 |
| 297/4 | 0.057 |
| 297/6 | 0.040 |
| 211/2 | 0.053 |
| 82/1 | 0.036 |
| 82/20, 346/4 | 0.061 |
| 82/15, 346/2 | 0.053 |
| 67 | 0.405 |
| 69 | 0.283 |
| 68/1 | 0.202 |
| 82/3 | 0.372 |
| 71/3 | 0.105 |
| 345/1 | 0.239 |
| 93/1 | 0.174 |
| 183 | 0.085 |
| 348/1 | 0.020 |
| 208/2 | 0.045 |
| 182/1, 184 | 0.201 |
| 209/1 | 0.081 |
| 209/2 | 0.077 |

| (1) | (2) |
|---|---|
| 199 | 0.008 |
| 212/1 | 0.008 |
| 262/7 | 0.061 |
| 254/2 | 0.036 |
| 256/2 | 0.012 |
| 289/2 | 0.142 |
| 263 | 0.117 |
| 260/2 | 0.004 |
| 260/3 | 0.004 |
| 296/1, 297/1, 297/2 | 0.166 |
| 290 | 0.004 |
| 289/1 | 0.093 |
| 291 | 0.008 |
| 292 | 0.093 |
| 295/1 | 0.032 |
| 295/2 | 0.032 |
| 298/3 | 0.097 |
| 82/22, 346/6 | 0.053 |
| 82/7 | 0.081 |
| 82/23 | 0.178 |
| 82/12 | 0.283 |
| 82/18, 346/3 | 0.109 |
| 82/6 | 0.372 |
| 82/5, 346/1 | 0.061 |
| 82/21, 346/5 | 0.065 |
| 82/17 | 0.384 |
| 82/14 | 0.226 |
| 211/5 | 0.053 |
| 339/4 | 0.016 |
| 297/5 | 0.186 |
| योग 88 | 8.447 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 जुलाई 2016

क्रमांक 12/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भौंवाकापा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर (1) | रकबा (हेक्टेयर में) (2) |
|---|---|
| 79 | 0.020 |
| 1/6 | 0.081 |
| 3/4 | 0.028 |
| 3/3 | 0.053 |
| 2/1 | 0.134 |
| 2/3 | 0.470 |
| 3/1 | 0.008 |
| 3/2 | 0.069 |
| योग 8 | 0.863 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 1 अगस्त 2016

क्रमांक 10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भाड़म
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.517 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 7/1 | 0.121 |
| 7/2 | 0.053 |
| 7/3 | 0.134 |
| 50/1 | 0.129 |
| 50/2 | 0.093 |
| 49, 52/1 | 0.040 |
| 9 | 0.304 |
| 59/3 | 0.032 |
| 51/1 | 0.020 |
| 58, 59/1 | 0.194 |
| 11 | 0.049 |
| 56/1, 57/1 | 0.182 |
| 597/1 | 0.004 |
| 56/2, 57/2 | 0.073 |
| 240/3 | 0.138 |
| 240/4 | 0.138 |
| 240/5 | 0.129 |
| 239/2 | 0.016 |
| 239/3 | 0.057 |
| 261/1 | 0.045 |
| 275/3 | 0.012 |
| 237/1 | 0.020 |
| 261/3 | 0.016 |
| 238/1 | 0.174 |
| 238/2 | 0.138 |
| 273/6 | 0.121 |
| 273/2 | 0.012 |
| 329/1 | 0.129 |
| 276/1 | 0.113 |
| 278/1 | 0.146 |
| 360 | 0.016 |
| 10 | 0.020 |
| 361 | 0.012 |
| 363 | 0.154 |
| 364 | 0.053 |
| 362 | 0.016 |
| 585/1 | 0.036 |
| 584/1 | 0.125 |
| 620 | 0.154 |
| 634 | 0.146 |
| 630 | 0.008 |
| 633 | 0.057 |
| 635 | 0.028 |
| 636/1 | 0.020 |
| 632 | 0.283 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 545 | 0.057 |
| | 597/5 | 0.053 |
| | 61/1 | 0.040 |
| | 61/2 | 0.040 |
| | 61/3 | 0.040 |
| | 61/6 | 0.065 |
| | 61/7 | 0.016 |
| | 244/5 | 0.040 |
| | 244/6 | 0.186 |
| | 244/1, 244/2 | 0.223 |
| | 242/2, 243/2 | 0.202 |
| | 242/1 | 0.202 |
| | 240/2 | 0.304 |
| | 274/2 | 0.178 |
| | 278/2 | 0.016 |
| | 280 | 0.073 |
| | 281 | 0.097 |
| | 329/2 | 0.129 |
| | 332 | 0.097 |
| | 333/1 | 0.182 |
| | 374/1 | 0.032 |
| | 374/2 | 0.032 |
| | 372 | 0.227 |
| | 371 | 0.077 |
| | 366/1, 377/17 | 0.065 |
| | 365, 376 | 0.210 |
| | 359 | 0.146 |
| | 547 | 0.024 |
| | 618 | 0.202 |
| | 580/2 | 0.024 |
| | 617/1 | 0.004 |
| | 617/2 | 0.020 |
| | 617/3 | 0.028 |
| | 275/1 | 0.008 |
| | 275/4 | 0.020 |
| | 276/2 | 0.081 |
| | 373/2 | 0.016 |
| | 373/3 | 0.008 |
| | 366/3, 377/17 | 0.093 |
| योग | 88 | 7.517 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्रमांक 20/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लमेर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.190 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 65, 67 | 0.093 |
| | 66 | 0.057 |
| | 63 | 0.304 |
| | 64/1 | 0.162 |
| | 64/2 | 0.142 |
| | 61 | 0.077 |
| | 60 | 0.162 |
| | 58 | 0.113 |
| | 47 | 0.105 |
| | 59 | 0.267 |
| | 33 | 0.057 |
| | 38 | 0.134 |
| | 39 | 0.105 |
| | 40/1 | 0.057 |
| | 41 | 0.263 |
| | 46 | 0.142 |
| | 54/1 | 0.040 |
| | 54/2 | 0.081 |
| | 55 | 0.142 |
| | 52, 53 | 0.283 |
| | 51 | 0.040 |
| | 41/1 | 0.162 |
| | 42/2 | 0.202 |
| योग | 23 | 3.190 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2016

क्रमांक 23/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सकर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.498 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|
| (1) | (2) |
| 731 | 0.045 |
| 735/1 | 0.365 |
| 735/3 | 0.304 |
| 735/6 | 0.146 |
| 735/4 | 0.040 |
| 732 | 0.008 |
| 729/1 | 0.121 |
| 729/3 | 0.040 |
| 729/4 | 0.304 |
| 729/2 | 0.405 |

| | (1) | (2) |
|---|---|---|
| | 734/1 | 0.243 |
| | 735/2 | 0.223 |
| | 734/5 | 0.121 |
| | 734/3 | 0.105 |
| | 735/5 | 0.202 |
| | 736/6 | 0.304 |
| | 747 | 0.097 |
| | 748/1 | 0.251 |
| | 748/2 | 0.235 |
| | 743/2 | 0.162 |
| | 746 | 0.166 |
| | 736/2 | 0.065 |
| | 749 | 0.283 |
| | 743/1 | 0.247 |
| | 736/1 | 0.162 |
| | 736/4, 736/5 | 0.255 |
| | 736/6 | 0.105 |
| | 750 | 0.275 |
| | 745 | 0.405 |
| | 744 | 0.073 |
| | 710 | 0.729 |
| | 709/1 | 0.040 |
| | 709/2 | 0.972 |
| योग | 34 | 7.498 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अन्बलगन पी,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 जुलाई 2016

क्रमांक 29/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-अम्बिकापुर
- (ग) नगर/ग्राम-रामनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.185 हेक्टेयर

| | खसरा नम्बर | रकबा (हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 132/20 | 0.185 |
| योग | | 0.185 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खैरवार से मलगवां रामनगर सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अम्बिकापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**भीम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ एवं अध्यक्ष, बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल
द्वितीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, पो.आ.-रविग्राम, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2016

क्रमांक मुनिवा/रिजल्ट/2951/2016.—बायलर प्रचालन इंजीनियर नियम-2011 के प्रावधानों के अंतर्गत बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षा (बी.ओ.ई.) की प्रवीणता प्रमाणपत्र प्रदान करने हेतु जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड रायगढ़, जिला-रायगढ़ में दिनांक 07 जून 2016 से

दिनांक 11 जून, 2016 तक परीक्षा आयोजित की गई. परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित आवेदकों की सूची निम्नानुसार है :—

| Sr. No. | Certificate Number | Name of Candidate | Place |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 456 | Abhishek Sharma | Siltara |
| 2. | 457 | Abhishek Singh | Raigarh |
| 3. | 458 | Ajay Kumar Sharma | Champa |
| 4. | 459 | Ajay Parabhu Lende | Raigarh |
| 5. | 460 | Ajeet Kumar Singh | Raigarh |
| 6. | 461 | Alok Sinha | Raipur |
| 7. | 462 | Amit Kumar | Korba |
| 8. | 463 | Amit Kumar Pandey | Tamnar |
| 9. | 464 | Amit Singh Baghel | Tilda |
| 10. | 465 | Amit Thareja | Korba |
| 11. | 466 | Amol Khankhoje | Raigarh |
| 12. | 467 | Anand Shankar Basuri | Korba |
| 13. | 468 | Aniket Lakhanpal | Champa |
| 14. | 469 | Anil Kumar Sahu | Korba |
| 15. | 470 | Anjali Soni | Korba |
| 16. | 471 | Ashish Kumar Pawar | Rajnandgaon |
| 17. | 472 | Ashok Kumar | Champa |
| 18. | 473 | Ateet Naidu | Siltara |
| 19. | 474 | Atul Ghai | Korba |
| 20. | 475 | Atul Mall | Siltara |
| 21. | 476 | Avinash Kumar Banjare | Raigarh |
| 22. | 477 | B. Arunkanth | Raipur |
| 23. | 478 | Bablu Kumar Singh | Korba |
| 24. | 479 | Badal Kalyanji Chauhan | Raigarh |
| 25. | 480 | Badapu Venkatesh | Tilda |
| 26. | 481 | Baikuntha Bibhuti Samantaray | Raigarh |
| 27. | 482 | Bhagawat Prasad Chandra | Raigarh |
| 28. | 483 | Bhupendra Kumar Sahu | Korba |
| 29. | 484 | Bhupendra Verma | Siltara |
| 30. | 485 | Birendra Kumar Dewangan | Korba |
| 31. | 486 | Brijesh Kumar Yadav | Siltara |
| 32. | 487 | Chandra Prakash Sahu | Champa |
| 33. | 488 | Chandrakant Dewangan | Raigarh |
| 34. | 489 | Chekka Krishnakanth | Tilda |
| 35. | 490 | Chetan Kumar Sinha | Raigarh |
| 36. | 491 | Chitteti Ankaiah | Tilda |
| 37. | 492 | Daksh Raj Vishwakarma | Raigarh |
| 38. | 493 | Daljeet Singh Dhillo | Korba |
| 39. | 494 | Dammalapati Vamsi Krishna | Tilda |
| 40. | 495 | Debasisa Sahu | Raigarh |
| 41. | 496 | Deepak Patel | Raigarh |
| 42. | 497 | Deepti Srivastava | Korba |
| 43. | 498 | Dhilli Rao Ganni | Tilda |
| 44. | 499 | Divya Gadpale | Korba |
| 45. | 500 | Domar Singh Sahu | Raipur |
| 46. | 501 | Gaind Lal Sahu | Siltara |
| 47. | 502 | Giriraj Ratnakar Uttarwar | Tilda |
| 48. | 503 | Hadi Abbas Mirza | Champa |
| 49. | 504 | Hans Pratap Singh | Raigarh |
| 50. | 505 | Hemant Rawat | Raigarh |
| 51. | 506 | Ippili Santosh Kumar | Tilda |
| 52. | 507 | Jaiprakash Verma | Bilaspur |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 53. | 508 | Jeevanlal Bhukya | Bilaspur |
| 54. | 509 | Jyotiprakash Mishra | Raigarh |
| 55. | 510 | Kanahiya Agrawal | Champa |
| 56. | 511 | Kasimkota Eswara Rao | Tilda |
| 57. | 512 | Kawaljeet Mehndiratta | Raigarh |
| 58. | 513 | Korubilli Apparao | Tilda |
| 59. | 514 | Krishna Kumar Dhurandhar | Raigarh |
| 60. | 515 | Lokpal Patel | Raigarh |
| 61. | 516 | M. Jithin | Korba |
| 62. | 517 | Madan Lal Gupta | Raigarh |
| 63. | 518 | Mahesh Kumar Verma | Korba |
| 64. | 519 | Maltran Joshi | Korba |
| 65. | 520 | Mohit Jaiswal | Tamnar |
| 66. | 521 | Muktesh Darshan | Tilda |
| 67. | 522 | Nand Kishore Sahu | Siltara |
| 68. | 523 | Nand Kumar Netam | Raipur |
| 69. | 524 | Narendra Kumar Sahu | Siltara |
| 70. | 525 | Neena Lata Saxena | Korba |
| 71. | 526 | Neeraj Chandra | Korba |
| 72. | 527 | Nirmal Nagwani | Korba |
| 73. | 528 | Nogendra Patel | Raigarh |
| 74. | 529 | Nyayapathi Pavan Kumar | Tilda |
| 75. | 530 | Omprakash Singh | Korba |
| 76. | 531 | P. Gowtham Pruthvi | Korba |
| 77. | 532 | Pawan Kumar Chandra | Raigarh |
| 78. | 533 | Peeyush Somani | Korba |
| 79. | 534 | Prabhat Kumar Sinha | Baloda Bajar |
| 80. | 535 | Pradeep Kumar Gajendra | Raigarh |
| 81. | 536 | Prasanna Thawait | Korba |
| 82. | 537 | Prasoon Dubey | Raigarh |
| 83. | 538 | Prateek Meher | Raigarh |
| 84. | 539 | Praveen Kumar Uikey | Korba |
| 85. | 540 | Preyanshu Ranjan | Bilaspur |
| 86. | 541 | Priyabrat Mohanty | Raigarh |
| 87. | 542 | Rahul Kumar | Raigarh |
| 88. | 543 | Rahul Yadav | Raigarh |
| 89. | 544 | Raj Mohan Khandekar | Raigarh |
| 90. | 545 | Rajendra Kumar Sahu | Siltara |
| 91. | 546 | Rajneesh Kumar Kaushal | Korba |
| 92. | 547 | Rakesh Singh Verma | Raigarh |
| 93. | 548 | Ramakant Sao | Raigarh |
| 94. | 549 | Ranjana Phutane | Korba |
| 95. | 550 | Rashpreet Singh Bagga | Raigarh |
| 96. | 551 | Ravi Satyapal | Raigarh |
| 97. | 552 | Ravisen Potanlal Patel | Champa |
| 98. | 553 | Sachin Debnath | Raipur |
| 99. | 554 | Sanchit Mittal | Raigarh |
| 100. | 555 | Sanjay Chakraborty | Korba |
| 101. | 556 | Santosh Kumar Gouda | Korba |
| 102. | 557 | Saravanakumar. K | Korba |
| 103. | 558 | Saurabh Kumaar Agrawal | Champa |
| 104. | 559 | Shubhankar Biswas | Raigarh |
| 105. | 560 | Smitesh Kumar Jain | Rajnandgaon |
| 106. | 561 | Soorya Prakash. A | Korba |
| 107. | 562 | Soumitra Pradhan | Raigarh |
| 108. | 563 | Sourabh Kumar Chandra | Korba |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 109. | 564 | Sridharbabu | Tilda |
| 110. | 565 | Suman Tiwari | Korba |
| 111. | 566 | Tedlapu Tatarao | Tilda |
| 112. | 567 | Tikendra Verma | Raigarh |
| 113. | 568 | Tosh Lal Patel | Raigarh |
| 114. | 569 | Ulhas Vasudeo Patil | Baloda Bajar |
| 115. | 570 | Upahar Dogra | Tilda |
| 116. | 571 | V. Vipin | Korba |
| 117. | 572 | Vikas Kumar Sahu | Siltara |
| 118. | 573 | Vikas Rajput | Korba |
| 119. | 574 | Vinay Karangle | Raigarh |
| 120. | 575 | Vinayak Dattatraya Rawtale | Raigarh |
| 121. | 576 | Vinod Kumar Prasad | Korba |
| 122. | 577 | Vivek Kumar Verma | Champa |
| 123. | 578 | Vivek Tiwari | Raigarh |
| 124. | 579 | Voota Krishna Swamy | Bilaspur |
| 125. | 580 | Yashwant Kumar Sahu | Raigarh |
| 126. | 581 | Yuvraj Singh Thakur | Durg |

**फणीन्द्र कुमार भोई,**
सचिव.

## कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक/549/ELU/अर्जुन्दा/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत अर्जुन्दा/प्रदर्शनी स्थल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुण्डरदेही एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद के कार्यालयों में दिनांक 1-07-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है.

### अनुसूची

**अर्जुन्दा निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम डुडिया, मटेवा, माटिया, खैरबना की उत्तरी सीमा तक.
**पूर्व में** : ग्राम खैरबना, कांदुल, खपरी की पूर्वी सीमा तक.
**दक्षिण में** : ग्राम खपरी, परसतराई, बोरगहन, मनकी, टेलीटोला की दक्षिणी सीमा तक.
**पश्चिम में** : ग्राम टेलीटोला, कठिया, डुडिया की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बालोद द्वारा विचार किया जावेगा.

**निरीक्षण स्थल** - कार्यालय नगर पंचायत, अर्जुन्दा.

No./549/ELU/Arjunda/T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Arjunda Planning Area has been prepared under sub section (i) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from date 01-07-2016 During office hour in the office of Nagar Panchayat Arjunda/Exhibition Venue, Office of Sub Divisional Officer (Revenue) Gundardehi & Office of the Assistant Director, Town & Country Planning Balod. The limit of the Arjunda Planning Area is defined in the Schedule given below.

SCHEDULE

**Limits of Arjunda Planning Area**

| | | |
|---|---|---|
| NORTH | : | Village Dudiya, Matewa, Matiya Village Khairbana up to North Boundary. |
| EAST | : | Village Khairbana, Kandul Village Khapri up to East Boundary. |
| SOUTH | : | Village Khapri, Parastarai, Borgahan, Manki Village Telitola up to South Boundary. |
| WEST | : | Village Telitola, Kathiya Village Dudiya up to West Boundary. |

If there be any objection or suggestion with the existing land use map so prepared it should be send in writing to the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G. or Inspection site writing a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before specified above will be considered by the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod C.G.

**Inspection Site :—** Office of the Nagar Panchayat, Arjunda.

**बी. एल. बांधे,**
सहायक संचालक.

---

## कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक/1072/नग्रानि/2016.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरबा निवेश क्षेत्र में की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तद्‌नुसार सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं. इस सूचना की प्रतिलिपि उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

**दरबा निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

| | | |
|---|---|---|
| **उत्तर में** | : | ग्राम करगा, भरदा एवं खुरसेंगा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक. |
| **पश्चिम में** | : | ग्राम खुरसेंगा, मुरा, जामगांव, मुल्ले, अंवरी, सोनपुर, नवागांव, मरौद एवं बंजारी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक. |
| **दक्षिण में** | : | ग्राम बंजारी, अटंग एवं सिवनीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक. |
| **पूर्व में** | : | ग्राम सिवनीकला, गातापार, सिर्री, ढेठा, कोटगांव एवं करगा ग्रामों की पूर्वी सीमा तक. |

उक्त अंगीकृत मानचित्र प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के अंतराल तक निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

**निरीक्षण स्थल** – कार्यालय ग्राम पंचायत दरबा एवं कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.).

No./1072/T&CP/2016.—It is published for general information to the Public that in Persuance of subsection (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) an existing land use map register of the Planning Area of "Darba" as specified in the following schedule is hereby duly adopted by the Commissioner Cum Director, Town and Country Planning C.G. Copy of this notice is being sent for publication in the "Chhattisgarh Gazette" under sub section (4) of section 15 of the said Act and will be conclusive evidence of the fact that the map has been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

**Limits of Darba Planning Area**

| | | |
|---|---|---|
| NORTH | : | Northern limits of Villages Karga, Bharda & Khursenga. |
| WEST | : | Western limits of Villages Khursenga, Mura, Jamgaon, Mulle, Awari, Sonpur, Nawagaon, Maroud & Banjari. |
| SOUTH | : | Southern limits of Villages Banjari, Atang & Siwnikala. |
| EAST | : | Eastern limits of Villages Siwnikala, Gatapar, Sirri, Dhetha, Kotgaon & Karga. |

The said adopted map shall be open for inspection at the following place with effect from the date of publication for a period of 15 days during office hours except holidays.

**Inspection Site :—** Office of the Gram Panchayat Darba and Assistant Director Town and Country Planning, Dhamtari (C.G.).

**आर. के. मालवीया,**
सहायक संचालक.

---

## कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जशपुर (छ.ग.)

जशपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक/497/नग्रानि/बगीचा वि.यो./2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर (छ.ग.) द्वारा निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट बगीचा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं इस सूचना की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

**बगीचा निवेश क्षेत्र की सीमाएं**

| | | |
|---|---|---|
| **उत्तर में** | : | ग्राम बगडोल, डुमरटोली, भट्ठीकोना, कुरूमकेला, गम्हरिया एवं ग्राम रतबा की उत्तरी सीमा तक. |
| **पूर्व में** | : | ग्राम रतबा की पूर्वी सीमा तक. |
| **दक्षिण में** | : | ग्राम रतबा, बगीचा, रेवरे, रूपसेरा एवं ग्राम बगडोल की दक्षिणी सीमा तक. |
| **पश्चिम में** | : | ग्राम रूपसेरा, बगडोल, डुमरटोली एवं ग्राम भट्ठीकोना की पश्चिमी सीमा तक. |

उक्त अंगीकृत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस की समयावधि के भीतर निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन अवधि में कार्यकारी दिवसों में (अवकाश को छोड़कर) खुला रहेगा.

**निरीक्षण स्थल** – कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर (छ.ग.).

**ललिता धुर्वे,**
सहायक संचालक.

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
### बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2901.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/763-764 रायपुर दिनांक 01-05-2015 द्वारा श्री टिकेश्वर सिंह, डिप्टी कलेक्टर भाटापारा को कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर-जिला बलौदाबाजार-भाटापारा का पत्र क्रमांक 396/अ.क.ले./उ.लि./2016 दिनांक 30-06-2016 द्वारा श्री सचिन भूतड़ा डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा को भारसाधक अधिकारी के लिए नियुक्ति करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री टिकेश्वर सिंह, डिप्टी कलेक्टर भाटापारा का अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री सचिन भूतड़ा डिप्टी कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति भाटापारा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2903.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/6803-6804 रायपुर दिनांक 23-01-2016 द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द को कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला महासमुन्द का ज्ञापन क्रमांक/4787/104/क/अ.अ.ऊ. शाखा/2016-17 महासमुन्द दिनांक 04-07-2016 द्वारा श्री शिवकुमार तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को कृषि उपज मंडी समिति महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री अभिषेक अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर, महासमुन्द का स्थानांतरण हो जाने के कारण श्री शिवकुमार तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) महासमुन्द को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति महासमुन्द, जिला-महासमुन्द का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2707.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2015-16/5635-5636 रायपुर दिनांक 23-11-2015 द्वारा श्री संदीप कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद, जिला-धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/7144/वित्त-1/2016 धमतरी दिनांक 12-07-2016 द्वारा श्री प्रेमकुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री संदीप कुमार अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद का स्थानांतरण होने से उनके स्थान पर श्री प्रेमकुमार पटेल, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति कुरूद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**नरेन्द्र कुमार शुक्ल,**
प्रबंध संचालक.

## कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
### शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्र. 09/चार/2014-16/1207.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 56/2015 (IV) रा.दल.अनु.दल-III, दिनांक 21 अप्रैल, 2016 निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में आयोग के अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2015 में किये गये संशोधन एवं पूरक सूची का राज्य के शासकीय राजपत्र में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

**निधि छिब्बर,**
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

## भारत निर्वाचन आयोग
### निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल, 2016—1 वैशाख, 1938 (शक)

### अधिसूचना

सं. 56/2015 (IV) रा.दल.अनु.-III.—निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के उप पैरा 2 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना सं. 56/2015/रा.दल.अनु.-II, तारीख 13 जनवरी, 2015, में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-III (रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल) में—

(i) स्तम्भ 1, 2 व 3 के अन्तर्गत क्रम सं. 1906 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां क्रमशः अन्त:स्थापित की जाएंगी—

| क्र. सं. (1) | पार्टी का नाम (2) | पता (3) |
|---|---|---|
| 1907 | नमदु कोन्नु मुनेत्र कलगम | 5 एफ संजीत प्लाजा, तिरू वी.का. स्ट्रीट, तिरूपुर रोड काँगेयम, तिरूपुर जिला, तमिलनाडु-638701. |
| 1908 | अनैथु मक्कल पुराची कॉची | नं. 268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलड़ी पोस्ट-विरूथाचलम, (टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु-606115. |
| 1909 | पर्बतीय प्रजातांत्रिक पार्टी | 39/ए, लेबौंग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734301. |
| 1910 | गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया | डी. नं. 6/786 साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरूची रोड, नामक्कल तमिलनाडु-637001. |
| 1911 | भारत पीपुल्स सेना | प्लाट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक-उदगीर, जिला-लातुर महाराष्ट्र. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1912 | तमिलार मक्कल कॉची | ग्राम-दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस-गेंडीगानहल्ली, तालुक-पालकोड, जिला-धर्मापुरी, तमिलनाडु-635205. |
| 1913 | ऑल पेंशनर्स पार्टी | नं.-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु. |
| 1914 | देसिया मक्कल शक्ति कॉची | न्यू नं.-21, ओल्ड नं.-11, वैंकटरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु-600079. |
| 1915 | अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा कॉची. | नं. 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु-625006. |
| 1916 | महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी | 3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, परामाकुडी, र ामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु-623707. |
| 1917 | नेताजी आदर्श पार्टी | 298, कुट्टीयानी, 28-थोडुपुझा, इड्डुकी जिला, केरल-685584. |
| 1918 | वालामाना तमिझागम कॉची | एच-982, 23 rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु-600040. |
| 1919 | डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर) | मोहल्ला-ताजपुरा, राहों, तहसील-नवांशहर, जिला-शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब-144517. |
| 1920 | डेमोक्रेटिक ह्यूमन राईट्स मूवमैंट पार्टी | तुन्डुविला वीड्डू, पन्जियूर, वेनजारामूड़ पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल-695607. |
| 1921 | ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी | ओंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर तिरुचि जिला, तमिलनाडु-621010. |
| 1922 | ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी | नं. 36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु, 600099. |
| 1923 | लोक चेतना दल | ग्राम-पकड़ी जलाल, पोस्ट-शुभंकरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार-843113. |
| 1924 | कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल कॉची | नं.-301/14, अलगर नगर, गांव-पचनपालयम, पोस्ट-अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु-638501. |
| 1925 | बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी | डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा. |
| 1926 | नलवजहिककडगम | कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तदृपत, चेन्नई, तमिलनाडु-600002. |
| 1927 | ऑल इंडिया पट्टाली मुनेत्र कॉची | नं.-90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम-जिला-तमिलनाडु - 606202. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1928 | पाशुमपोन मक्कल कड़गम | नं. 102, एल.बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु-600020. |
| 1929 | भारत धर्म जन सेना | इमारत सं. 849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल-688544. |
| 1930 | सेवा साम्राज्य पार्टी | ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता.-पालम, जि.-परभणी, महाराष्ट्र-431536. |
| 1931 | तमिलनाडु महात्मा गांधी मक्कल कॉची | 9-2/1 सी, तेट्टीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास, कुलीतुर्रे, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु-629163. |

(ii) क्रम सं. 107 पर "ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को पुन: स्थापित किया जाएगा, जो कि यथासंशोधित अधिसूचना दिनांकित 12-03-2016 द्वारा मद सं. (xv) सारणी-III से विलोपित किया गया था.

(iii) क्रम सं. 1556 पर "सोशल जस्टिस पार्टी" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(iv) क्रम सं. 835 पर "केरल रिवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी (बेबी जॉन)" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(v) क्रम सं. 1402 पर "राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी" के संबंध में विद्यमान प्रविष्टियों को विलोपित किया जाएगा.

(vi) निम्नलिखित 72 राजनैतिक दलों के नाम एवं उनसे संबंधित सभी प्रविष्टियां नीचे दिये गये विवरण के अनुसार विलोपित की जाएंगी :—

| अधिसूचना की क्र. सं. (1) | पार्टी का नाम (2) | पता (3) |
|---|---|---|
| 51 | अखिल भारतीय भारत माता-पुत्र पक्ष | ऑफिस-नन्दूरवार पिन-425412, जिला-धुलिया (महाराष्ट्र). |
| 183 | अन्ना तेलुगु देशम पार्टी | 4-1-825/8, 9 व 10, एन.टी. आर. एस्टेट्स आबिड्स, हैदराबाद-500001, (आन्ध्र प्रदेश). |
| 184 | अन्नदाता पार्टी | मंदिर श्री पुरूषोत्तम भगवान, चंद्रभागा-326023, झालारपाटन सिटी, जिला-झालावाड़ा, (राजस्थान). |
| 221 | बहुजन महासंघ पक्ष | रामनगर, सुधीर कॉलोनी, अकोला-444001, महाराष्ट्र. |
| 226 | बहुजन रिपब्लिकन पार्टी | म. नं. 1-7-1046/18, एस.आर.टी. क्वार्टर्स-18, आजमाबाद, रामनगर, हैदराबाद-500020, (आन्ध्र प्रदेश). |
| 299 | भारतीय हिन्दू सेना | आमेर भवन, आमेर, जयपुर (राजस्थान). |
| 303 | भारतीय जय जवान जय किसान पार्टी | ट्रक यूनियन के पास, झज्जर, जिला-रोहतक (हरियाणा). |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 326 | भारतीय लोक न्याय पार्टी | 7/103, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दर योजना, आगरा, उत्तर प्रदेश. |
| 327 | भारतीय लोक विकास पार्टी | अन्नामलाई, पंजलासा, नजदीक नारायणगढ़, जिला-अम्बाला, हरियाणा-134203. |
| 329 | भारतीय मानव रक्षा दल | बारखेड़ा, पठानी, भोपाल-21, (मध्यप्रदेश). |
| 376 | भारतीय सेवा दल | 3-1-236/239/1, पहली मंजिल, सोमासुन्दरम स्ट्रीट, सिकन्दराबाद-500003 (आन्ध्र प्रदेश). |
| 410 | भारतीय जन कल्याण पार्टी | 199/2, अर्जुन नगर कैथल-136027 (हरियाणा). |
| 423 | भारतीय किसान मजदूर पार्टी | गांव और पोस्ट-मीरपुर, तहसील-खैर, जिला-अलीगढ़, (उत्तर प्रदेश). |
| 436 | भारतीय रक्षक पार्टी | म. नं. 397, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, रोहतक-124001, (हरियाणा). |
| 443 | भारतीय संताजी पार्टी | 1, खोब्रागाडे ले-आउट, डिघोरी रिंग रोड स्कवायर, नागपुर-440024, महाराष्ट्र. |
| 459 | भूमि जोतक समूह | 560/12, कृष्णा नगर, कानपुर रोड, लखनऊ-226005, (उत्तर प्रदेश). |
| 471 | बृज प्रदेश निर्माण संघ | श्री अरबिन्दो भवन, 28/352, गुदड़ी मन्सूर खान, आगरा-3, (उत्तर प्रदेश). |
| 476 | बुंदेलखंड विकास दल | गांव और पो.ऑ. कुलपाहद, जनपद-हमीरपुर (उत्तर प्रदेश). |
| 479 | छत्तीसगढ़ किसान मजदूर पार्टी | पी.आर. नेगी का मकान, झूलेलाल धाम के पीछे, गली डा. भानु प्रताप सिंह, कटोरा तालाब, रायपुर, छत्तीसगढ़. |
| 511 | डेमोक्रेटिक बहुजन समाज मोर्चा | ग्राम-सोत्रान, पो.-चक कालाई, तहसील व जिला-नवांशहर, (पंजाब). |
| 553 | इफ्रेम यूनियन | त्लांगडिंगग्लिआना बिल्डिंग, बाबंगकावन साउथ, आइजॉल-796012, (मिजोरम). |
| 570 | गरीबजन समाज पार्टी | 450, जयदेवी नगर, गढ़ रोड, मेरठ (उत्तर प्रदेश). |
| 577 | गोवा पीपुल्स काँग्रेस | मेनेजेस बिल्डिंग के सामने, अल्टिन्हो, पणजी, गोवा-403001. |
| 578 | गोवा पोक्स | मेनेजेस बिल्डिंग के सामने, अलटिन्हो, पणजी, गोवा-403001. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 584 | गोल्डन इण्डिया पार्टी | "नन्दन वन", बी 94-ज्ञान मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004, (राजस्थान). |
| 596 | गुजरात आदिजाती विकास पक्ष | ब्लॉक नं. 6/4, एम.एल.ए. निवास, सेक्टर-21, गांधी नगर (गुजरात). |
| 631 | हिन्दु समाज पार्टी | 117/के-36, सर्वोदय नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश). |
| 745 | जन क्रान्ति मोर्चा | 89-एम, किदवई नगर, कानपुर (उत्तर प्रदेश). |
| 788 | जनसेवक समाज पार्टी | 159, बुद्धाश्रम, तापा रोड, मोहल्ला-खेरा, फिरोजाबाद-283203 (उत्तर प्रदेश). |
| 844 | किसान नौजवान पार्टी | राजेन्द्र नगर, करमेर रोड, ओरई, जिला-जालौन, उत्तर प्रदेश. |
| 849 | किसान विकास पार्टी | अब्दुल पुंरा, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश). |
| 862 | क्रान्तिकारी बेरोजगार पार्टी | म. नं. 86, विनोबा वार्ड, वार्ड नं. 6, जैन मन्दिर के पीछे, गवर्मेन्ट गर्ल्स स्कूल रोड, सिहोर, जिला-जबलपुर, 483225, (मध्यप्रदेश). |
| 864 | क्रान्तिकारी मनुवादी मोर्चा | एफ-62, सैक्टर-11, नोएडा-201301, (उत्तर प्रदेश). |
| 865 | क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी लोहिया | 18/22, ताशकन्द मार्ग, मूलचन्द यादव चौराहा, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश). |
| 874 | लेबर विकास पार्टी | 1407, न्यू प्रीत नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना (पंजाब). |
| 887 | लोक हित पार्टी | बस्ती अब्दुलापुरा, लुधियाना-3, (पंजाब). |
| 924 | मध्य प्रदेश लोकतांत्रिक पार्टी | 19, दुर्गा कॉलोनी, संजीवनी नगर, गड्डा, जबलपुर-482003, (मध्यप्रदेश). |
| 967 | मानव कल्याण संघ दल | गदी स्थान-मेहतवाड़ा, तहसील-आस्था, जिला-सेहोरे, (मध्यप्रदेश). |
| 1009 | मुक्त भारत | फ्लैट नं. 1451, सेक्टर-ए, पाकेट-बी & सी, वसन्त कुँज, नई दिल्ली-110070. |
| 1014 | नाग विदर्भ आन्दोलन समिति | परदेसी तेलेपुरा बजेरिया, शुक्ला लॉज के पास, नागपुर-440018, (महाराष्ट्र). |
| 1084 | नेसावालार मुन्नेत्र काची | सं.-34, कोलाडी रोड, थीरूवरकाडू (पो. ऑ.) चेन्नई, तमिलनाडू. |
| 1096 | निदया मलिक (एन) पार्टी | 242, सिविल लाइन्स, गोण्डा-271001, जिला-गोण्डा, (उत्तर प्रदेश). |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1142 | पीपुल्स डेमोक्रेटिक लीग ऑफ इण्डिया | बिल्डिंग नं. 25, फ्लेट नं. 8, चिटनाविसनगर लेआउट, बैरामजी टाउन, मेन्टल हॉस्पिटल के पास, नागपुर-13 (महाराष्ट्र). |
| 1162 | प्रगतिशील पार्टी | 111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश). |
| 1190 | पंजाब जनता मोर्चा | पंज पीर, जालन्धर शहर-144001 (पंजाब). |
| 1237 | राष्ट्रवादी विकास दल | ए-37, सैक्टर-26, नोएडा-201301, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश. |
| 1259 | राष्ट्रीय बहुजन एकता पार्टी | आलोक नगर, एयर फोर्स, बरेली-243122, (उत्तर प्रदेश). |
| 1264 | राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी मोर्चा | सेन्ट्रल ऑफिस-शिवाजी नगर, आबू पर्वत-307501, जिला-सिरोही, (राजस्थान). |
| 1291 | राष्ट्रीय जन संगम | शर्मा कुंज, शिवपुरी, बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश). |
| 1309 | राष्ट्रीय जनसेवक परिषद् | देवकन्या सदन, वाटर टैंक के पास, त्रिपोलिया रोड, बन्सवाड़ा-327001, (राजस्थान). |
| 1313 | राष्ट्रीय जनता कॉंग्रेस | ए-4, स्वर्ण सिंह रोड, आदर्श नगर, नई दिल्ली-110033. |
| 1317 | राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल | शुक्ला भवन, बुधापारा, रायपुर-429001, छत्तीसगढ़. |
| 1356 | राष्ट्रीय मातृभूमि पार्टी | 1265-सेक्टर-17 सी, गुडगांव, हरियाणा. |
| 1363 | राष्ट्रीय पार्टी | गया प्रसाद धर्मशाला काम्प्लेक्स चारबाग, सब्जी मंडी, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश). |
| 1377 | राष्ट्रीय समाज सेवक दल | भीरा खीरी, जनपद-खीरी—262901, (उत्तर प्रदेश). |
| 1378 | राष्ट्रीय समाज सुधार पार्टी | गांव थंत्री, पो.-घोड़ी, जिला-फरीदाबाद, (हरियाणा). |
| 1380 | राष्ट्रीय समाजवादी कॉंग्रेस | एस. 9/11 बी, प्रेमचंद मार्ग, हुकुलगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश. |
| 1400 | राष्ट्रीय सुराज्य परिषद् | मृदुल टावर, भूतल, कैलाश सोसाइटी, एच.के. हाउस लेन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, (गुजरात). |
| 1412 | राष्ट्रीय युवा लोकतांत्रिक पार्टी | चैम्बर नं. 461, न्यू चैम्बर काम्पलेक्स, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली-110001. |
| 1424 | रिपब्लिकन जनता पार्टी | डी-29, गांधी विहार, डी.डी.ए. कॉलोनी, मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1426 | रिपब्लिकन मुवमेंट | पो.बो.नं.-117, तादोबरोड़, तुकुम, चन्द्रापुर, 442401, महाराष्ट्र. |
| 1444 | सबका दल भारतीय समाजवादी काँग्रेस | एन-14/169, सरईनन्दन (खोजवा), वाराणसी-221010, (उत्तर प्रदेश). |
| 1499 | सर्वधर्म पार्टी (मध्यप्रदेश) | सी-44, पद्मनाभ नगर, भोपाल-462023, (मध्यप्रदेश). |
| 1510 | सर्वोदय पार्टी | पी-3, यूनिवर्सिटी कैम्पस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर-302004, (राजस्थान). |
| 1514 | सत्य मेव पार्टी | 548, रामदास पाटे, नागपुर-10, (महाराष्ट्र). |
| 1517 | सत्ययुग पार्टी | फ्लैट नं. 203, बिल्डिंग नं. 6-4-323/ए, विवेक वंशी रेजिडेन्सी, मेकाला मंडी रोड, भोलकपुर, सिकन्दराबाद-500080, (आन्ध्रप्रदेश). |
| 1646 | त्रिलोक शक्ति काँग्रेस भारत | 49-डी, त्रिवेणी नगर, नैनी, उद्योग नगर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश. |
| 1693 | विदर्भ जनता काँग्रेस | अन्तर भारती आश्रम, डाभा, वायुसेना नगर के पीछे, अमरावती रोड, नागपुर (महाराष्ट्र). |
| 1695 | विदर्भ राज्य मक्ति मोर्चा | ए टाइप, सुखकर्ता अपार्टमेन्ट, बलराज मार्ग, धनताली, नागपुर-440012, (महाराष्ट्र). |
| 1705 | विकासवादी कम्यूनिज्म पार्टी | मखदुमपुर रोड, मवाना कलां-250401, जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश). |
| 1727 | युवा गणतन्त्र पार्टी | सरदार पटेल नगर, जमनीपाली-कोरबा, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़. |
| 1729 | युवा जन जागृति पार्टी | बहालोपुर, बुलन्दशहर-202391, उत्तर प्रदेश. |

2. उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी-IV (मुक्त प्रतीकों की सूची) में—

(i) क्रम सं. 109 पर विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी.

110. नारियल फार्म

आदेश से,

हस्ता./-
**( वरिन्दर कुमार )**
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, dated 21st April, 2016—1 Vaisakha, 1938 (Saka)

## NOTIFICATION

No. 56/2015 (IV)/PPS-III.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968, the Election Commission of India hereby makes the following further amendments to its Notification No. 56/2015/PPS-II dated 13th January, 2015, as amended from time to time, namely :—

1. In Table III (Registered un-recognised parties), appended to the said Notification—
   (i) After the existing entries at Sl. No. 1906, the following entries shall be inserted under column Nos. 1, 2 & 3, respectively :—

| Sl. No. (1) | Party's Name (2) | Address (3) |
|---|---|---|
| 1907 | Namathu Kongu Munnetra Kalagam | 5 F Sanjith Plaza, Thiru, V. Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu-638701. |
| 1908 | Anaithu Makkal Puratchi Katchi | No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post-Viruthachalam (TK), Cuddalore (DT), Tamil Nadu-606115. |
| 1909 | Parbatiaya Prajatantrik Party | 39/A, Lebong Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling West Bengal-734301. |
| 1910 | Ganasangam Party of India | D. No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal Tamil Nadu-637001. |
| 1911 | Bharat Peoples Sena | Plot No. 6-4-787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk-Udgir, District-Latur Maharashtra. |
| 1912 | Tamilar Makkal Katchi | Village-Thumbalahallidam, P.O.-Gendiganahalli Taluk-Palacode, District-Dharmapuri, Tamil Nadu-635205. |
| 1913 | All Pensioner's Party | No. 12 D, Pavodum Thoppu, Nellorepet, Gudiyattam, Vellore District, Tamil Nadu-632602. |
| 1914 | Desiya Makkal Sakthi Katchi | New No. 21, Old No. 11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu-600079. |
| 1915 | Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi. | No. 1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu-625006. |
| 1916 | Mahatma Gandhi National Labour Party. | 3/366 G , Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu-623707. |
| 1917 | Netaji Adarsh Party | 298, Kuttiyani, 28-Thodupuzha, Idukki District, Kerala - 685584. |
| 1918 | Valamaana Tamizhagam Katchi | H-982, 23rd Street, 13th Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu-600040. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1919 | Democratic Party of India (Ambedkar) | Mohalla Tajpura Rahon, Tehsil-Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab-144517. |
| 1920 | Democratic Human Rights Movement Party. | Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala-695607. |
| 1921 | All India Sathyajothi Party | Ongarakudil, 19, Extension, Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu-621010. |
| 1922 | All India Women Democratic Freedom Party. | No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu-600099. |
| 1923 | Lok Chetna Dal | Village-Pakari Jalal, P. O .- Shubhankarpur, District -Muzaffarpur, Bihar-843113. |
| 1924 | Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi. | 301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu-638501. |
| 1925 | Berojgar Aadmi Adhikar Party | D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana. |
| 1926 | Nalvazhikkazhagam | Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu-600002. |
| 1927 | All India Pattali Munnetra Katchi | No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu-606202. |
| 1928 | Pasumpon Makkal Kazhagam | Door No. 102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu-600020. |
| 1929 | Bharath Dharma Jana Sena | Building No. V/849, Mararikkulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikkulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala-688544. |
| 1930 | Seva Samrajya Party | Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq.-Palam, District-Parbhani, Maharashtra-431536. |
| 1931 | Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi. | Door No. 9-2/1 C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District-Tamil Nadu-629163. |

(ii) The entries pertaining to 'All India Athithanar Makal Katchi' at Sl. No. 107 which were deleted vide item (xv) of Table-III appended to amending notification dated 12-03-2016, shall be restored.

(iii) Existing entries pertaining to Sl. No. 1556 in respect of 'Social Justice Party' shall be deleted.

(iv) Existing entries pertaining to Sl. No. 835 in respect of 'Kerala Revolutionary Socialist Party (Baby John)' shall be deleted.

(v) Existing entries pertaining to Sl. No. 1402 in respect of 'Rashtriya Swabhimaan Party' shall be deleted.

(vi) The names and all entries relating to the following 72 parties shall also be deleted as per the details given below :—

| Sl. No. in the Notification (1) | Name of the Party (2) | Address (3) |
|---|---|---|
| 51 | Akhil Bharatiya Bharat Mata-Putra Paksha | Office-Nandurbar, Pin-425412, Distt.-Dhulia (Maharashtra). |
| 183 | Anna Telugu Desam Party | 4-1-825/8,9 and 10 NTR Estates, Abids, Hyderabad-500001, Andhra Pradesh. |
| 184 | Anndata Party | Mandir Sri Purushottam Bhagwan, Chandrabhaga-326023, Jhalarapatan City, District-Jhalawar (Rajasthan). |
| 221 | Bahujan Mahasangha Paksha | Ramnagar, Sudhir Colony, Akola-444001, Maharashtra. |
| 226 | Bahujan Republican Party | H. No. 1-7-1046/18, SRT Quarters-18, Azamabad, Ramnagar, Hyderabad-500020 (Andhra Pradesh). |
| 299 | Bharatiya Hindu Sena | Amer Bhawan, Amer, Jaipur (Rajasthan) |
| 303 | Bharatiya Jai Jawan Jai Kisan Party | Near Truck Union, Jhajjar, Distt-Rohtak, (Haryana). |
| 326 | Bharatiya Lok Nyay Party | 7/103, Awas Vikas Colony, Sikandra Yojna, Agra, Uttar Pradesh. |
| 327 | Bharatiya Lok Vikas Party | Anamalay, Panjlasa, Near Naraingarh, Distt. Ambala, Haryana-134203. |
| 329 | Bharatiya Manav Raksha Dal | Barkhera, Pathani, Bhopal-21 (Madhya-Pradesh). |
| 376 | Bharatiya Seva Dal | 3-1-236/239/1, First Floor, Somasunderam Street, Secunderabad-500003 (Andhra-Pradesh). |
| 410 | Bhartiya Jan Kalyan Party | 199/2, Arjun Nagar, Kaithal-136027, (Haryana). |
| 423 | Bhartiya Kishan Mazdoor Party | Village And Post Meerpur, Tehsil-Khair, Distt. Aligarh (Uttar Pradesh). |
| 436 | Bhartiya Rakshak Party | H.No. 397, Housing Board Colony, Rohtak-124 001 (Haryana). |
| 443 | Bhartiya Santaji Party | 1, Khobragade Lay-out, Dighori Ring Road Square, Nagpur-440024, Maharashtra. |
| 459 | Bhomi Jotak Samooh | 560/12, Krishna Nagar, Kanpur Road, Lucknow-226005 (Uttar-Pradesh). |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 471 | Brij Pradesh Nirman Sangh | Sri Aurobindo Bhawan, 28/352, Gudri Mansoor Khan, Agra-3 (U.P.). |
| 476 | Bundelkhand Vikas Dal | Village & P.O. - Culpahad, Janpad-Hamirpur (U.P.) |
| 479 | Chhattisgarh Kisan Mazdoor Party | House of P.R. Negi, Behind Jhule Lal Dham, Gali Dr. Bhanu Pratap Singh, Katora Talab, Raipur, Chhattisgarh. |
| 511 | Democratic Bahujan Samaj Morcha | Village-Sotran, P. O. Chak Kalai, Tehsil & District-Nawanshahar, Punjab. |
| 553 | Ephraim Union | Tlangdingliana Building, Bawngkawn South, Aizawl-796012, (Mizoram). |
| 570 | Gareebjan Samaj Party | 450, Jaidebvi Nagar, Garh Road, Meerut (Uttar Pradesh). |
| 577 | Goa People's Congress | Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403 001. |
| 578 | Goa Pokx | Opp. Menezes Building, Altinho, Panaji, Goa-403001. |
| 584 | Golden India Party | 'Nandan Van', B-94, Gyan Marg. Tilak Nagar, Jaipur-302004 (Rajasthan). |
| 596 | Gujarat Adijati Vikash Paksh | Block No. 6/4, MLA Nivas, Sector-21, Gandhi Nagar (Gujarat). |
| 631 | Hindu Samaj Party | 117/K-36, Sarvodaya Nagar, Kanpur (U.P.). |
| 745 | Jan Kranti Morcha | 89-M, Kidwai Nagar, Kanpur (Uttar Pradesh). |
| 788 | Jansevak Samaj Party | 159, Bodhashram, Tapa Road, Mohalla-Khera, Ferozabad-283203 (Uttar Pradesh). |
| 844 | Kisan Naujawan Party | Rajendra Nagar, Karmer Road, Orai, District Jalaun, Uttar Pradesh. |
| 849 | Kisan Vikas Party | Abdul Pura, Distt.-Meerut, (Uttar Pradesh), |
| 862 | Krantikari Berozgar Party | H. No. 86, Vinoda Ward, Ward No. 6, Behind Jain Temple, Govt. Girls School Road, Sihora District, Jabalpur-483 225, (Madhya Pradesh). |
| 864 | Krantikari Manuwadi Morcha | F-62, Sector-11, Noida-201301 (Uttar-Pradesh). |
| 865 | Krantikari Samajwadi Party Lohia | 18/22, Taskand Marg, Mool Chand Yadav Chouraha, Civil Lines, Allahabad (U.P.). |
| 874 | Labour Vikas Party | 1407, New Preet Nagar, Tibba Road, Ludhiana (Punjab). |
| 887 | Lok Hit Party | Basti Abdulapura, Ludhiana-3 (Punjab). |
| 924 | Madhya Pradesh Loktantrik Party | 19-Durga Colony, Sanjivani Nagar, Gadda, Jabalpur-482003 (Madhya Pradesh). |
| 967 | Manav Kalyan Sangh Dal | Gadi Sthan-Mehtwara, Tahsil Astha, District Sehore (Madhya Pradesh). |
| 1009 | Mukt Bharat | Flat No. 1451, Sector-A, Pocket-B & C, Vansant Kunj, New Delhi-110070. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1014 | Nag Vidarbha Andolan Samiti | Pardesi Telepura, Bajeeriya, Near Shukla Lodge, Nagpur-440018 (Maharashtra). |
| 1084 | Nesavaalar Munnetra Kattchi | No. 34, Koladi Road, Thiruverkadu (P.O.), Chennai (Tamil Nadu). |
| 1096 | Nidaya Malik (N) Party | 242, Civil Lines, Gaunda, Distt.-Gaunda-271001 (Uttar Pradesh). |
| 1142 | Peoples Democratic League of India | Building No. 25, Flat No. 8, Chitnavisnagar Layout, Byramji Town, Near Mental Hospital, Nagpur-13, (Maharashtra). |
| 1162 | Pragatisheel Party | 111, Badshah Nagar Lucknow-226007 (Uttar Pradesh). |
| 1190 | Punjab Janata Morcha | Panj Pir, Jalandhar City-144001 (Punjab) |
| 1237 | Rashtravadi Vikas Dal | A-37, Sector-26, Noida-201301, District-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. |
| 1259 | Rashtriya Bahujan Ekta Party. | Alok Nagar, Air Force, Bareilly-243122, (Uttar Pradesh). |
| 1264 | Rashtriya Bhrasthachar Virodhi Morcha | Central Office : Shivaji Nagar, Abu Parbat, 307501, Distt. Sirohi (Rajasthan). |
| 1291 | Rashtriya Jan Sangam | Sharma Kunj, Shivpuri, Bulandshahar (Uttar Pradesh). |
| 1309 | Rashtriya Jansevak Parishad | Devkanya Sadan, Near Water Tank, Tripolia Road, Banswara-327001 (Rajasthan). |
| 1313 | Rashtriya Janta Congress | A-4, Swaran Singh Road, Adarsh Nagar, New Delhi-110033. |
| 1317 | Rashtriya Jantantrik Dal | Shukla Bhavan, Budhapara, Raipur-429 001, Chhattisgarh. |
| 1356 | Rashtriya Matrabhoomi Party | 1265-Sector-17 C, Gurgaon, Haryana. |
| 1363 | Rashtriya Party | Gaya Prasad Dharmshala Complex, Charbagh Sabzi Mandi, Lucknow, (Uttar Pradesh). |
| 1377 | Rashtriya Samaj Sevak Dal | Bheeram Khiri, Janpad-Khiri-262901 (U.P.). |
| 1378 | Rashtriya Samaj Sudhar Party | Village Thantri, Post Ghodi, Distt.-Faridabad-(Haryana). |
| 1380 | Rashtriya Samajwadi Congress | S-9/11 B, Premchand Marg, Hukulganj, Varanasi, Uttar Pradesh. |
| 1400 | Rashtriya Surajya Parishad | Mrudul Tower, Ground Floor, Kailash Society, H.K. House Lane, Ashram Road Ahmedabad-380009 (Gujarat). |
| 1412 | Rashtriya Yuva Loktantrik Party | Chamber No. 461, New Chamber Complex, Patiala House Courts, New Delhi-110001. |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 1424 | Republican Janata Party | D-29, Gandhi Vihar, D.D.A. Colony, Mukherjee Nagar, Delhi-110009. |
| 1426 | Republican Movement | Post Box No. 117, Tadoba Road, Tukum, Chandrapur-442401, Maharashtra. |
| 1444 | Sabka Dal Bharatiya Samajwadi Congress | N-14/169, Sarainandan (Khojva), Varanasi-221010 (Uttar Pradesh). |
| 1499 | Sarvadharam Party (Madhya Pradesh) | C-44, Padmanabh Nagar, Bhopal-462023 (Madhya Pradesh). |
| 1510 | Sarvodaya Party | P3, University Campus, University of Rajasthan, Jaipur-302004 (Rajasthan). |
| 1514 | Satya Mave Party | 548, Ramdass Pate, Nagpur-10, (Maharashtra). |
| 1517 | Satyayug Party | Flat No. 203, Bldg. No. 6-4-323/A, Vivek Vanshi Residency, Mekala Mandi Road, Bholakpur, Secunderabad-500080, (Andhra Pradesh). |
| 1646 | Trilok Shakti Congress Bharat | 49-D, Triveni Nagar, Naini, Udyog Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh. |
| 1693 | Vidarbha Janata Congress | Antar Bharti Ashram, Dabha, Behind Vayusena Nagar, Amraoti Road, Nagpur, (Maharashtra). |
| 1695 | Vidharabha Rajya Mukti Morcha | A Type, Sukhkarta Apartment, Balraj Marg, Dhantali, Nagpur-440012 (Maharashtra). |
| 1705 | Vikaswadi Communism Party | Makhdumpur Road, Mawana Kalan 250401, District Meerut (U.P.). |
| 1727 | Yuva Gantantra Party | Sardar Patel Nagar, Jamnipali-Korba, District Bilaspur, Chhattisgarh. |
| 1729 | Yuva Jan Jagriti Party | Bahalolpur, Bulandshaher-202391, Uttar-Pradesh. |

2. In *Table IV* (List of Free Symbols), appended to the said Notification.—

(i) After the existing entries as Sl. No. 109, the following entries shall be inserted :—

110. Coconut Farm

By order,

Sd/-
(VARINDER KUMAR)
Secretary.
Election Commission of India.